शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र. / रा.शि.के. / मूल्याकंन / वार्षिक मूल्यांकन / 2023—24 / 6166 भोपाल, दिनांक 31/3/2023

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय— कक्षा—5 व कक्षा—8 परीक्षा सत्र 2023—24 आयोजन संबंधी निर्देश।

म.प्र. राजपत्र दिनांक 02.03.2019 अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के नियम 10 में किए गए संशोधन के अनुक्रम में प्रत्येक अकादमिक वर्ष में कक्षा 5 व 8 की नियमित परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान है। परीक्षा में निर्धारित अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों को पुनः परीक्षा का अवसर दिए जाने तथा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण छात्रों को उसी कक्षा में रोके जाने (डिटेंशन पॉलिसी) का प्रावधान है।

सत्र 2022—23 में शासकीय शालाओं, शासकीय मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा— 5 व 8 हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया है। इसी भांति अगामी सत्र 2023—24 में भी समस्त शासकीय विद्यालय, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों में एस.सी.ई.आर.टी द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

कक्षा 5 व 8 सत्र 2023—24 की परीक्षा संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं—

1. **परीक्षा संचालन हेतु ऑनलाईन पोर्टल की व्यवस्था—** गतवर्ष की भांति सत्र 2023—24 में भी कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा विकसित आई.टी. प्लेटफार्म (www.rskmp.in) के माध्यम से परीक्षागत् व्यवस्थाएं, यथा छात्र पंजीकरण, छात्र सत्यापन, परीक्षा केन्द्र निर्धारण, मूल्यांकन केन्द्र निर्धारण, परीक्षाफल निर्धारण, प्रगति पत्रक जनरेट करना आदि संपादित की जाएंगी। इसके संबंध में आवश्यक निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे। आई.टी.

प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों एवं शाला प्रभारियों का समय–समय पर उन्मुखीकरण किया जाएगा।

2. जिला स्तर पर परीक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार गतवर्ष की भांति जिला परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार किया जाए–

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत — **अध्यक्ष**
- जिला शिक्षा अधिकारी — उपाध्यक्ष
- जिला परियोजना समन्वयक — **सदस्य सचिव**
- सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग (जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के विद्यालय होने की स्थिति में) — सदस्य
- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) — सदस्य
- जिला मदरसा प्रभारी — सदस्य
- जिला अध्यक्ष अशासकीय शिक्षण संस्था — सदस्य
- सहायक परियोजना समन्वयक अकादमिक — सदस्य
- जिला मुख्यालय के जनपद शिक्षा केन्द्र के विकासखण्ड स्रोत समन्वयक — सदस्य

जिला परीक्षा समिति परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु जिला स्तर पर सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य करेगी।

3. **परीक्षा योजना–** वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु अधिभार निम्नानुसार होगाः–

- अर्द्धवार्षिक परीक्षा – अधिभार 20 प्रतिशत
- वार्षिक परीक्षा (लिखित) – अधिभार 60 प्रतिशत
- वार्षिक परीक्षा (प्रोजेक्ट कार्य) – अधिभार 20 प्रतिशत

3.1 समस्त शालाओं में अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर निर्मित कराए गए प्रश्नपत्रों एवं निर्धारित समय–सारणी अनुसार कराया जाएगा।

3.2 वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षावार, विषयवार, निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कराया जाएगा। सत्र 2023–24 हेतु प्रोजेक्ट कार्यों की कक्षावार–विषयवार सूची पृथक से जारी की जाएगी।

3.3 कक्षा 5 व 8 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाली समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों हेतु सत्र 2023–24 हेतु निर्धारित छात्रों

द्वारा चयनित विकल्प SCERT अनुसार पाठ्यपुस्तकों की सूची निम्नानुसार रहेगी–

कक्षा– 5 हेतु (SCERT)

क्र.	विषय	पुस्तक का नाम
1	हिन्दी	भाषा भारती
2	अंग्रेजी	इंग्लिश रीडर
3	मराठी	भारती (मराठी)
4	उर्दू	उर्दू भारती
5	गणित	गणित का जादू
6	पर्यावरण अध्ययन	आसपास (पर्यावरण)

कक्षा– 8 हेतु (SCERT)

क्र.	विषय	पुस्तक का नाम
1	हिन्दी	भाषा भारती
2	अंग्रेजी	इंग्लिश रीडर
3	संस्कृत	सुरभिः
4	मराठी	भारती (मराठी)
5	उर्दू	उर्दू भारती
6	हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / मराठी	सहायक वाचन / Supplymentry reader
7	गणित	गणित /Mathematics
8	विज्ञान	विज्ञान /Science
9	सामाजिक विज्ञान	हमारे अतीत 3 (इतिहास)
		संसाधन एवं निकास (भूगोल)
		सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन–3

जिन अशासकीय शालाओं में एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम का उपयोग किया जायेगा उन छात्रों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाषा की परीक्षा एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम आधारित होगी, शेष समस्त विषय हेतु एस.सी.ई.आर.टी. तथा एन.सी.ई.आर.टी. के प्रश्न पत्र में एक रूपता रहेगी । एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम का विकल्प का चयन करने वाले छात्रों को मध्यप्रदेश के स्थानीय परिवेश से परिचित कराने के उद्देश्य से एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्मित सहायक वाचन की पुस्तक का अध्यापन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में सहायक वाचन आधारित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा।

3.4 वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना निम्नानुसार होगी–

3.4.1 कक्षा 5 हेतु–

विषय	अर्द्ध वार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों का अधिभार	लिखित परीक्षा (बाह्य मूल्यांकन) पूर्णांक	प्रोजेक्ट कार्य (आंतरिक मूल्यांकन) पूर्णांक	कुल अंक
1. प्रथम भाषा – हिन्दी / अंग्रेजी / मराठी / उर्दू	20	60	20	100
2. द्वितीय भाषा – अंग्रेजी / हिन्दी	20	60	20	100
3. अतिरिक्त भाषा (वैकल्पिक) – हिन्दी / उर्दू / मराठी / संस्कृत / पंजाबी	20	60	20	100

4 गणित / संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	20	60 / 40	20 / 40	100
5. पर्यावरण अध्ययन	20	60	20	100

अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है लेकिन विद्यार्थियों द्वारा अतिरिक्त भाषा विषय का चयन किया जाता है तो इसके प्राप्तांकों को वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन एवं परिणाम हेतु शामिल किया जाएगा।

3.4.2 कक्षा 8 हेतु–

विषय	अर्द्ध वार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों का अधिभार	लिखित परीक्षा (बाह्य मूल्यांकन) पूर्णांक	प्रोजेक्ट कार्य (आंतरिक मूल्यांकन) पूर्णांक	कुल अंक
1. प्रथम भाषा– हिन्दी / अंग्रेजी / मराठी / उर्दू	20	60	20	100
2. द्वितीय भाषा – अंग्रेजी / हिन्दी	20	60	20	100
3.1 तृतीय भाषा – हिन्दी / उर्दू / मराठी / संस्कृत / पंजाबी / उड़िया /	20	60	20	100
3.2 चित्रकला (श्रवणबाधितों हेतु चित्रकला विषय चयन का विकल्प)	20	40	40	100
4.गणित / संगीत (दृष्टिबाधितों हेतु)	20	60 / 40	20 / 40	100
5. विज्ञान	20	60	20	100
6. सामाजिक अध्ययन	20	60	20	100

3.4.3 हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। अन्य भारतीय भाषा का चयन उपलब्ध विकल्पों में से कक्षा 8 हेतु तृतीय भाषा अन्तर्गत किया जाना होगा।

3.5. दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, नई शिक्षा नीति 2020 एवं भारत सरकार के निर्देश क्र F-9-39/ 2021-IS-18 दिनाँक 19.04.2022 के प्रकाश में दिव्यांग परीक्षार्थियों को दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर विभिन्न सुविधाएं राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश क्र./राशिके/ आईईडी/ 2022/2264 भोपाल दिनाँक 29.03.2022 एवं इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशानुसार प्रदान की जाएंगी।

3.5.1 वार्षिक परीक्षा उपरांत कक्षोन्नति हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा (बाह्य मूल्यांकन) एवं प्रोजेक्ट कार्य (आंतरिक मूल्यांकन) में पृथक्–पृथक् न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षाफल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं दो माह की कालावधि में पुनःपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा।

3.5.2 पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उसकी अध्ययनरत् कक्षा में ही वापस रोका जाएगा।

3.5.3 स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को किसी भी कारण से स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

4. **परीक्षा शुल्क**–परीक्षा आयोजन हेतु आवश्यक प्रक्रियागत् व्यय यथा प्रश्नपत्र–मुद्रण, वितरण, मूल्यांकन, प्रगति पत्रक तैयार करना, परीक्षा पोर्टल संचालन आदि कार्यों हेतु कक्षावार एवं छात्रवार निम्नानुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान शाला द्वारा परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन के दौरान ऑनलाईन पेमेंट गेटवे प्रक्रिया से किया जाएगा–
   - कक्षा 5 हेतु रू. 50/– प्रतिछात्र
   - कक्षा 8 हेतु रू. 100/– प्रतिछात्र

5. अभ्यास की दृष्टि से ब्लूप्रिंट तथा कक्षावार–विषयवार प्रोजेक्ट कार्य की सूची शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी।

6. वार्षिक परीक्षा का आयोजन माह–फरवरी/मार्च 2024 में किया जाएगा। इस हेतु समय–सारिणी पृथक् से जारी की जाएगी।

7. वार्षिक परीक्षा संचालन संबंधी विभिन्न गतिविधियों हेतु समय सीमा निर्धारण अथवा अन्य आवश्यक निर्देश पृथक से जारी किये जाएंगे।

31/03/2023

(धनराजू एस.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

क्र./रा.शि.के./मूल्याकंन/वार्षिक मूल्याकंन/2022–23/6167 भोपाल, दिनांक 31/03/2023

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, जन सम्पर्क विभाग, म.प्र. शासन।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र.।
5. आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र.।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र.।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.।
9. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले म.प्र.।
10. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जिले म.प्र.।
11. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले म.प्र.।
12. समस्त संकुल प्राचार्य, शा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, म.प्र.।
13. बी.आर.सी.सी., समस्त विकासखण्ड म.प्र.।
14. आई.सी.टी. कक्ष राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल, अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31/03/2023

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल